न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 77/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00327

1. विजयपाल उर्फ बुजपाल पुत्र केसरा राम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—:प्रार्थी

बनाम

1. श्योपत राम पुत्र श्याम लाल जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थितिः—

1. श्री ज्योतिष बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री सुशील कुमार गोदारा, वकील अप्रार्थी

—: **निर्णय** :—

दिनांक : 09.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि चक 28 पीएस के खाता सं. 30/26 के मु.नं. 30 प.नं. 227/292 एवं मु.नं. 50 प.नं. 227/393 की कुल 1.417है. नहरी में पंहुचने के प्रयोजनार्थ अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 28 पीएस के मु.नं. 29 की कुल 3.268है. नहरी मय खाला भूमि में से कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक में दो दो बिस्वा पश्चिमी पासा चालू रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका/रिकार्ड जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता लेने का अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि भूमि में जाने के लिए आबादी 28 पीएस से होता हुआ मु.नं. 9 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 तथा मु.नं. 26 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 से होता हुआ, मु.नं. 30 के कि.नं.5 तक जाता" उक्त भूमि प्रार्थी के सगे भाईयों की भूमि है, प्रार्थी उसकी भूमि में से अपने मु.नं. 30 के कि.नं. 23–24–25 व मु.नं. 50 जो कि मु.नं. 30 का चिता हुआ रकबा है, जिसमें से रासता दिया जाना उचित हैं। प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाईयों द्वारा दिनांक 26.5.2015 को घरेलू बंटवारा किया था, तब उन्हें घरेलू बंटवारा में रास्ते की भी मांग प्रार्थी को करनी थी, जिसमें वह मु.नं. 30 के कि.नं. 5–6–15–16 से होता हुआ प्रार्थी के कि.नं. 25 में प्रवेश कर सकता था। अपने भाईयों से रास्ते में आई भूमि के बदले भूमि देकर रास्ता ले सकता था। प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थी को हेरान परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1572 दिनांक 18.12.2020 के अनुसार प्रार्थी विजयपाल द्वारा दिनांक 26.05.2015 को मु.नं. 30 का 6.173है. मु.नं. 50 का 1.025है. कुल 7.198है. भूमि का सहमति बंटवारा किया गया था। जिसमें प्रार्थी द्वारा रास्ते की कोई मांग नहीं की गई। प्रार्थी को रास्ता मु.नं. 30 के कि.नं. 5–6–15–16 में अपने भाईयों से भूमि की एवज में भूमि देकर रास्ता दिया जाना उचित होगा।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई [illegible] स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी की भूमि में से गैर मु[illegible] स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस [illegible] प्रार्थी के भाईयों द्वारा दिनांक 26.5.2015 को घरेलू बंटवारा किया [illegible] बंटवारा में रास्ते की भी मांग प्रार्थी को करनी थी, जिसमें वह मु.नं. 30 के कि.नं. 5–6–15–[illegible] से होता हुआ प्रार्थी के कि.नं. 25 में प्रवेश कर सकता था। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी को परे[illegible] करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 11:50:27 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.05.2015 को अपने भाईयों के साथ मु.नं. 30 व 50 की भूमि का घरेलू बंटवारा किया गया था। प्रार्थी को उस समय रास्ता की मांग करनी चाहिए थी। तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी की भूमि मु.नं. 29 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 के बजाए अपने भाईयों के मु.नं. 30 के कि.नं. 5–6–15–16 में से भूमि की एवज में भूमि देकर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया हैं। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी की अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता की मांग अनुचित प्रतीत होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 251 ए राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 11:30:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner